

—:: कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कवर्धा वनमण्डल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230

E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / ४७ ..

कवर्धा, दिनांक :— 16 / 01 / 2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध / व.सं.अ.) अटल नगर,
नवा रायपुर, छ.ग.

विषय :— कवर्धा जिले के कवर्धा वनमण्डल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधियिम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Networks Limited द्वारा Laying 4G OFC Cable Line Banjari to Bodla Village in Kawardha Forest Division हेतु क्षेत्रफल 0.536 है। पंजीयन क्रमांक (FP/CG/OFC/154845/2022) बाबत्।

संदर्भ :— आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-918/2811 दिनांक 20.12.2023 एवं 2573 दिनांक 21.11.2023।

—000—

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत Telesonic Networks Limited, 3rd & 4th floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square Indore (M.P.) द्वारा ग्राम बंजारी से बोडला मार्ग के किनारे केबल लाईन बिछाने प्रस्ताव में आपके द्वारा निम्न बिन्दुवार पर लगायी गई ऑनलाईन कमियों का निराकरण कर तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाकर आपकी ओर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

बिन्दु क्र.	ऑनलाईन कमियों	निराकरण
01	वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रपत्र-03 सुधार कर अपलोड नहीं किया गया है। सुधार कर अपलोड करें।	प्रपत्र-03 सुधार किया जाकर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
02	Part-II सुधार कर अपलोड नहीं किया गया है। सुधार कर अपलोड करें।	Part-II सुधार किया जाकर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
03	प्रपत्र-4 सुधार कर पुनः अपलोड किया जावे।	प्रपत्र-4 सुधार किया जाकर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र. / तक.अधि. / ४८ ..

प्रतिलिपि :—

- मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- Telesonic Networks Limited, 3rd & 4th floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square Indore (M.P.) 452010 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा
कवर्धा, दिनांक :— 10 / 1 / 2024

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230

E-mail: dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / २२२१

कवर्धा, दिनांक :— २९ / 11 / 2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :- कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गेर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Network Limited द्वारा 4G OFC Cable Line Banjari to Bodla Village in Kawardha Forest Division हेतु क्षेत्रफल 0.536 है। पंजीयन क्र. (FP/CG/OFC/154845/2022) बाबत्।

संदर्भ :- अपर मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध / व.सं.अ.) छ०ग०रायपुर पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/ 115-918/2573 दिनांक 21.11.2023।

————★★★————

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निम्न बिन्दुओं के आधार पर लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है :—

बिंदु क्र.	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों का निराकरण
1	प्रस्तावित प्रकरण में Form-A (Part-II) के कॉलम नम्बर-15 में अपलोड प्रपत्र में बिन्दु क्रमांक- 10 में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। जबकि .kml जांच में प्रकरण भोरमदेव अभ्यारण्य के 10 कि.मी. के क्षेत्र अंतर्गत दर्शित है। सुधार कर अपलोड करें।	प्रस्तावित क्षेत्र में OFC केबल लाईन बिछाने कार्य Telesonic Network Limited द्वारा किया जाना है जो कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आता है किन्तु, आवेदित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. सीमा के अंतर्गत आता है। ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर -16 में अपलोड भाग-2 के बिन्दु क्रमांक-5 में वन की वैधानिक स्थिति वनमंडल कवर्धा द्वारा राजस्व वनभूमि लेख किया गया है परंतु प्रकरण में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है। भाग-2 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जाना होगा।	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर -16 में अपलोड भाग-2 के बिन्दु क्रमांक-5 में वन की वैधानिक स्थिति वनमंडल कवर्धा द्वारा राजस्व वनभूमि लेख किया गया है, परंतु प्रकरण में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है। अतः जिसे भाग-2 में सुधार कर पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर -6 में हरियाली का घनत्व भी निरंक लेख किया गया है। जबकि ऑनलाईन में 0.5 घनत्व दिखा रहा है। इस हेतु सुधार आवश्यक है।	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर -6 में हरियाली का घनत्व निरंक बताया गया था जिसे सुधार कर 0.5 घनत्व कर लिया गया है। जिसे ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रपत्र-4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया है, परंतु रोजगार विवरण आवेदन फार्म आवेदक द्वारा दिया गया है। प्रपत्र-4 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जावे।	प्रपत्र-4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया था जिसे रोजगार का सृजन-आवश्यकतानुसार। सुधार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार लगायी गई आतियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर अनुशंसा सहित प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र :— प्रस्ताव 04 प्रतियों में

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा
कवर्धा, दिनांक :— २९ / ११ / 2023

पृ.क्र./तक.अधि./ २७२२

प्रतिलिपि:-

- ✓ ६८.
1. अपर मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) ४०००रायपुर पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/ ११५-९१८/२५७३ दिनांक २१.११.२०२३ के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
 2. Telesonic Networks Limited. 3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

dk

(चेक लिस्ट क्रमांक -11)

वन अधिकारीयों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित हैं जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे. , संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हे. के प्रस्तावित क्षेत्र का वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

प्रस्ताव में वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)


वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला—कबीरधाम (छ0ग0)

FORM -IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के
अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे: –	
i.	उन प्रस्तावों तथा पारियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है	महाप्रवंधक टेलीरोनिक नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 है. प्रस्तावित है। जिसमे कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 है., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 है. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।
ii.	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) –	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक कुल रकबा योग :– 0.536 हेक्टर
iii.	परियोजना की कुल लागत—	27 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताएं जाये –	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ–वे (Row) अंतर्गत 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वनभूमि सड़क राईट– ऑफ–वे के अंतर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी। अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वनभूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ –	कबीरधाम जिला के निकटवर्ती क्षेत्र घने वन एवं पहाड़ियों से आच्छादित है तथा खनिज संपदा से संपन्न है। इन क्षेत्रों में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से लोगों के जीवन शैली में सुधार होगा तथा शासकीय राजस्व में भी वृद्धि होगी।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी –	कबीरधाम जिला के अंतर्गत बंजारी से बोडला के आसपास ग्रामवासी
vii.	सृजित रोजगार –	आवश्यकतानुसार।
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	
i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश –	छत्तीसगढ़
ii.	जिला –	कबीरधाम
iii.	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट –	संलग्न है।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना / स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा—	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक कुल रकबा – 0.536 हेक्टर


4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा—	
i.	वन की वैधानिक स्थिति (नामतःआरक्षित / संरक्षित / अवर्गीकृत आदि) —	आरक्षित वनभूमि — 0.346 संरक्षित वनभूमि — 0.190 राजस्व वनभूमि — निरंक ऑरेज एरिया — निरंक कुल रकबा — 0.536 हेक्टर
ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा —	लागु नहीं है।
iii.	वनस्पति की संघनता —	0.5
iv.	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार —	आवश्यक नहीं है।
v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गम्भीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं —	आवश्यक नहीं है।
vi.	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति आरक्षित जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हाँ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें। (मुख्य वन जीव अभिरक्षण की विशिष्ट टिप्पणीयों को सलंगन करें)	कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सङ्क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु परिक्षेत्र कवर्धा का हिस्सा है, ब्यौरा निम्नानुसार है :- आरक्षित वनभूमि — 0.346 संरक्षित वनभूमि — 0.190 राजस्व वनभूमि — निरंक ऑरेज एरिया — निरंक कुल रकबा — 0.536 हेक्टर
vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा —	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 0.536 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है। आरक्षित वनभूमि — 0.346 संरक्षित वनभूमि — 0.190 राजस्व वनभूमि — निरंक ऑरेज एरिया — निरंक कुल रकबा — 0.536 हेक्टर
viii.	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुलर्भ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की प्रजातियां —	नहीं है।
ix.	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नहीं है।
x.	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	
i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii.	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या —	निरंक
iv.	विस्तृत पुनर्वास योजना —	निरंक
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरा —	
i.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र, अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी हिस्से की संख्या प्रत्येक हिस्सो का आकर।	आवश्यक नहीं है।

ii.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यक नहीं है।
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियों क्रियान्वयन एजेंसी समय सूची ढॉचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	निरंक
iv.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय लागत	निरंक
v.	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र कि उपर्युक्ता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण—पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाये जो की उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	निरंक
vi.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये वनेतर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	निरंक
vii.	पारेषण लाइनों के बारे में व्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	निरंक
	a. परिषण लाइन की कुल लम्बाई	निरंक
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	निरंक
	c. मार्ग का अधिकार	निरंक
	d. निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	f. पारेषण टॉवरों की ऊँचाई	निरंक
7	सिंचाई / वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –	आवश्यक नहीं है।
i.	कुल कैचमेंट क्षेत्र	निरंक
ii.	कुल कमाण्ड क्षेत्र	निरंक
iii.	कुल जलाशय स्तर	निरंक
iv.	उच्च बाढ़ स्तर	निरंक
v.	न्यूनतम प्राप्ति स्तर—	निरंक
vi.	परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का व्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागाह भूमि, मानव आबादी तथा अन्य)–	निरंक
vii.	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
viii.	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
ix.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	निरंक
x.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़े परियोजनाओं के लिए)	निरंक
xi.	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	निरंक

xii.	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना-	निरंक
xiii.	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में—	निरंक
8	सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे—	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क/लाईनों के प्रतारों के लिए—	आवश्यक नहीं है।
i.	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	निरंक
ii.	सड़क की कुल लम्बाई—	निरंक
iii.	पहले बनाई जा चुकी सड़क की कुल लम्बाई—	निरंक
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)	आवश्यक नहीं है।
i.	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii.	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि—	आवश्यक नहीं है।
iii.	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	आवश्यक नहीं है।
iv.	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन—	आवश्यक नहीं है।
v.	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi.	चरणबद्ध सुधार योजना —	आवश्यक नहीं है।
vii.	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान—	आवश्यक नहीं है।
viii.	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जार्ये—	आवश्यक नहीं है।
ix.	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या—	आवश्यक नहीं है।
x.	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल—	आवश्यक नहीं है।
a.	खनन—	आवश्यक नहीं है।
b.	खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण—	आवश्यक नहीं है।
c.	अधिभार को जमा करना—	आवश्यक नहीं है।
d.	औजारों एवं मशीनों का भण्डारण—	आवश्यक नहीं है।
e.	भवनों, विजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है।
f.	शहर, आवास, कॉलोनियां—	आवश्यक नहीं है।
g.	सड़क/रेल्वे मार्ग/राज्य मार्ग का निर्माण—	आवश्यक नहीं है।
h.	अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है।
xl.	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है—	आवश्यक नहीं है।
xlii.	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या—	आवश्यक नहीं है।
xliii.	वारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी—	आवश्यक नहीं है।

xxv.	पुनः प्रयोग के लिये पापरी चातूर्ष मिट्टी (कम्पी पुता) के भाग्यार ही प्रतिक्रिया	आवश्यक नहीं है।
xxvi.	भूमिगत व्यवस्था कार्यों में अपेक्षित वनस्पतियों की मात्रा और जल, वन तथा वन्य वनस्पतियों पर दारका प्रभाव	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाग विश्लेषण-	
12	वन्य पर्यावरण रखीकृति/अपेक्षित है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो वन्य उत्पादक अपेक्षित और प्रत्युत कर दिये गए हैं (हाँ/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	वन्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है,(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो -	आवश्यक नहीं है।
i.	शुरू होने की तारीख राहित उत्पादक द्वारा-	आवश्यक नहीं है।
ii.	अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी-	आवश्यक नहीं है।
iii.	गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही-	आवश्यक नहीं है।
iv.	वन्य आपी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है-	आवश्यक नहीं है।
14	कोई अन्य रूचना-	आवश्यक नहीं है।
15	संलग्न लिये गये प्रगाण पत्रों/दरतावेजों के द्वारा-	धेक लिरट अनुसार रासी दस्तावेज संलग्न है।
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विरहूत विचार अर्थात्-	कवर्धा डिवीजन बंजारी से बोडला तक मुख्य सङ्क के रामानांतर 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल विछाने से ग्रामीण आवादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
i.	इसमें समिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद-	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
ii.	वन्य जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्गर है	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव-	
a	ग्रामीण आवादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	ग्रामीण आवादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
b	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	संचार के साधन बढ़ने से आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को रखीकर करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक वन विभाग की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है।

प्रगाणित किया जाता है की उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वनभूमि की मौग न्यूनतम है।



वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला-कवीरधाम (छोगो)

**वनरांरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

गांग—I

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गरे जाने के लिए)

प्रस्ताव की ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक—FP/CG/OFC/154845/2022

1.	परियोजना का विवरण :—	
(i)	अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्क्रीन का संक्षिप्त विवरण	कवीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत बंजारी से बोडला में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के लोग मोबाइल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से देश एवं दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कवीरधाम जिले के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य मार्ग के 10.720 कि.मी. 4जी समान्तर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाना है ताकि इस मार्ग के आस पास की सभी आबादी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। इस हेतु कवर्धा वनमण्डल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित है। जिसमें कवर्धा वनमण्डल के अंतर्गत परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला के आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वला मैप	मानचित्र संलग्न है।
(iii)	परियोजना की कुल लागत	27 लाख रुपये ।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	कवीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ-वे (Row) अंतर्गत 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वनभूमि सड़क राईट- ऑफ-वे के अंतर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी। अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वनभूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण वित्तीय तथा सामाजिक लाभ (संलग्न किए जाने के लिए)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक/7-9/2011-FC (Pt) नई दिल्ली दिनांक 01.08.2017 के अनुसार 20 हेक्टेयर से कम वनक्षेत्र व्यपवर्तन में आवश्यकता नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	बोडला तहसील अंतर्गत स्थित आप पास के ग्रामों में निवासरत लगभग 181432 लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही 1200 मानव दिवस

		रोजगार का सूजन होगा तथा 100-110 वेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सङ्क समानांतर राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत आप्टिकल फायधर केवल विछाने हेतु प्रभावित 0.536 है. वनभूमि की आवश्यकता है।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	वनभूमि में कोई भी व्यक्ति निवासरत नहीं है एवं वन भूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विरथापित नहीं होगा।
(i)	परिवारों की संख्या	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	चूंकि विस्थापन नहीं किया जा रहा है, इसलिए जानकारी निरंक है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 के अनुसार अनुसूची में छूट प्रदान की गई है, इसलिए आवश्यक नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता संलग्न की जाए।	चूंकि प्रस्तावित कार्य सङ्क सर्ट-ऑफ-वे के अंतर्गत पूर्व डायवर्टड भूमि के अंदर ही किया जाना है, अतएव पृथक से वनभूमि डावर्सन की आवश्यकता नहीं है। अतएव पुनः वनीकरण की वचनबद्धता आवश्यक नहीं है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है।

दिनांक :

स्थान :

(देवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

वन पण्डित नारायण
कवर्धा वन पण्डित नारायण

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यायर्तन के प्ररताय
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

**भाग-2
(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्ररताय की राज्य क्रम राख्या**


पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/154845/2022

1.	परियोजना/स्कीम का रथान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कबीरधाम
(iii)	वनप्रभाग	कवर्धा
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.536 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित, संरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये) सिंचाइ/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिणामना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनक्षेत्र से गुजर रही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/ संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, तो दें।	हाँ, न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर वीं गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन	नहीं, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

4	प्रति पूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	आवश्यक नहीं है।
	(i) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है।
	(ii) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
	(iv) प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
	(v) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	आवश्यक नहीं है।
5	जिला वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाईल	-
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	- ८८५७.०५ कर्ग चि.नी.
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	- १५४४.३० कर्ग चि.नी.
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	- १९ प्रकृष्टा १२०६.६१ हे.
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रति पूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेतर भूमि पर।	- ५०५.७५ हे. १८५.०० हे.
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि। (ख) वनेतर भूमि पर।	- ७०५.७५ हे. १८५.०० हे.
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

स्थान : कवर्धा



(देवेन्द्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

(घुड़ामाणि सिंह)
धा. त.से.

वनसंरक्षकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छोगो)

प्रपत्र -03

वन संरक्षण अधिनियम ,1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक / व.म.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 है. प्रस्तावित हैं। जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 है, संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 है. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 है.		
2	आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	0.536 है.		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कबीरधाम	कवर्धा	बंजारी से बोडला
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण :-	वनखण्ड	कक्ष/खसरा क्रमांक	आवेदित रकबा (हे. में)
	क. आरक्षित वनभूमि	बंजारी	RF 60	0.056
		बंजारी	RF 61	0.112
		बंजारी	RF 63	0.008
		बंजारी	RF 64	0.017
		बंजारी	RF 65	0.153
		योग :-		0.346
	ख. संरक्षित वनभूमि	चोरभट्टी	PF 313	0.097
		बोडला	PF 315	0.093
		योग :-		0.190
	ग. राजस्व वनभूमि	—	—	0.000
		कुल योग :-		0.536 ha.
6	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र मिश्रित वन है, प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है।		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट-ऑफ-वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। उक्त कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सामान्य है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी.ध्वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	—		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेर	प्रस्तावित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं है किन्तु, आवेदित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव		

	रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर, बाढ़ी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत हैं अथवा नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	अभ्यारण्य की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है।
11	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं किया गया है।

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी / विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- परिसर क्षेत्र

दिनांक :- ०५/१०/२०२३

(चूड़ामणि सिंह) भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला—कबीरधाम (छोगो)